

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....14.1.25.....

बनाम

.....किशन लाल.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 11/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<u>14.1.25</u>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>नारायण</u></p> <p>पिता श्री <u>नन्दा लाल</u></p> <p>निवासी- <u>पुरोहित नासांग</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पुरोहित नासांग</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>खाना सि. 244 व 310, 251 मे वाणि आराजीयात</u></p> <p>कुल कीता <u>07 + 06 + 01</u> कुल रकबा <u>2.16 + 2.15 + 0.12 = 4.43</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पुरोहित नासांग</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>खाना सि. 244, 310 व 251 मे वाणि आराजीयात</u></p> <p>कुल कीता <u>14</u> रकबा <u>4.43</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>200.00</u> रुपये अक्षरे <u>दो हजार २००.००</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>